सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **199/2018** दायर दिनाँक **18.06.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कुम्भाराम पुत्र पीथाराम, उम्र–75साल, 2. भागूराम पुत्र पीथाराम, उम्र–55साल, जाति–जाट, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.अशोक पुत्र किसनाराम, 2.बनवारी पुत्र मगनाराम, 3.गोरादेवी पत्नी मगनाराम, 4.भींवाराम पुत्र पीथाराम, 5.हनुमान पूनियाँ पुत्र पीथाराम, 6.नेमीचन्द पुत्र रामूराम, 7.लक्ष्मण पुत्र रामूराम, (फौत), के वारिशान्,– 7/1 मीरादेवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण, 7/2 सुनिता पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मण, नाबालिग जरिये संरक्षिका मीरादेवी प्रतिवादी संख्या 7/1, 7/3 रक्षिता पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मण, नाबालिग जरिये संरक्षिका मीरादेवी प्रतिवादी संख्या 7/1, 8.छोटीदेवी पत्नी रामूराम, 9.रामचन्द्र पुत्र पूसाराम, 10.गोपालराम पुत्र पूसाराम, 11.राजेन्द्र पुत्र पूसाराम, 12.सोनीदेवी पत्नी पूसाराम, 13.सोहनी पत्नी भागूराम, 14.टीकूराम पुत्र मेवाराम, 15.मोहनीदेवी पत्नी मेवाराम, 16.दुलाराम पुत्र कानाराम, 17.गोरधन पुत्र कानाराम, 18.बिरदाराम पुत्र कानाराम, 19.गिरधारीराम पुत्र कानाराम, 20.गंगाराम पुत्र कानाराम, 21.मोहनीदेवी पत्नी कानाराम, 22.रामेश्वरराम पुत्र नाथूराम, 23.दानाराम पुत्र नाथूराम, 24.गणेशाराम पुत्र नाथूराम, 25.अर्जुनराम पुत्र नाथूराम, 26.रिधुदेवी पत्नी नाथूराम, 27.मानाराम पुत्र परतुराम, 28.भागीरथ पुत्र बोदूराम, 29.गोविन्दराम पुत्र बोदूराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 199 / 2018
दायर दिनाँक 18.06.2018, निर्णय दिनाँक 10.07.2018
कुम्भाराम, वगैरा बनाम् अशोक, वगैरा।

		30.रामचन्द्र पुत्र बोदूराम, 31.आसूराम पुत्र बोदूराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 32.मैनेजर, यूको बैंक, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 33.मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 34.मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक, शाखा–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 35.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, वकील, वादीगण।
2. श्री अशोक कुमार भाकर, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 04, 06, 09 व 14 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **10.07.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा मौलासर में खसरा नम्बर 01 रकबा 26.08 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 76.18 बीघा अवस्थित है, जो कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 व 22 ता 31 की सामलाती पैतृक भूमि हैं।

प्रार्थना वादीगण है कि,

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 21 डिक्री किया जावे तथा शरहद मौजा मौलासर के खेत खसरा नम्बर 01 रकबा 26.08 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 76.18 बीघा की खातेदारी में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

से प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 21 का नाम हटाने की घोषणा की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 35 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 07, 08, 10 ता 13, 15 ता 35 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 07 लक्ष्मण के कायम मुकामात् का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 का पेश हुआ, जिसपर पक्षकारान् की अनापत्ति होने से, प्रार्थना–पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन शपथ–पथ, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 ग्राम मौलासर खेवट संख्या 24/303 व 25/304 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पेश की है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादीगण दावानुसार वाद डिक्री किया जाने की इस्तदुआ पेश कर रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01, 04, 06, 09 व 14 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारान् की इबारत् पक्षकारान् को सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश पूनियाँ ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री अशोककुमार भाकर ने की है। अतः बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपर्युक्त राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक, वादीगण की वाद वर्णित इस्तदुआ के अनुसार दावा डिक्री किया जाने में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01, 04, 06, 09 व 14 सहमत हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस्तदुआ वादीगण व राजीनामा पक्षकारान् पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01, 04, 06, 09 व 14 ने वाद में राजीनामा पेश कर दावानुसार वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 199/2018
दायर दिनाँक 18.06.2018, निर्णय दिनाँक 10.07.2018
कुम्भाराम, वगैरा बनाम् अशोक, वगैरा।

है। ऐसी स्थिति में, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, दावानुसार वाद डिक्री किया जाना अज़ अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद स्वीकार कर, दावानुसार वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौलासर के खसरा नम्बर 01 रकबा 26.08 बीघा व खसरा नम्बर 39 रकबा 76.18 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 21 का नाम हटाया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 10.07.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 199/2018 दायर दिनाँक 18.06..2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कुम्भाराम पुत्र पीथाराम, उम्र–75साल, 2. भागूराम पुत्र पीथाराम, उम्र–55साल, जाति–जाट, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.अशोक पुत्र किसनाराम, 2.बनवारी पुत्र मगनाराम, 3.गोरादेवी पत्नी मगनाराम, 4.भींवाराम पुत्र पीथाराम, 5.हनुमान पूनियाँ पुत्र पीथाराम, 6.नेमीचन्द पुत्र रामूराम, 7.लक्ष्मण पुत्र रामूराम, (फौत), के वारिशान,– 7/1 मीरादेवी पत्नी स्वर्गीय लक्ष्मण, 7/2 सुनिता पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मण, नाबालिग जरिये संरक्षिका मीरादेवी प्रतिवादी संख्या 7/1, 7/3 रक्षिता पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मण, नाबालिग जरिये संरक्षिका मीरादेवी प्रतिवादी संख्या 7/1, 8.छोटीदेवी पत्नी रामूराम, 9.रामचन्द्र पुत्र पूसाराम, 10.गोपालराम पुत्र पूसाराम, 11.राजेन्द्र पुत्र पूसाराम, 12.सोनीदेवी पत्नी पूसाराम, 13.सोहनी पत्नी भागूराम, 14.टीकूराम पुत्र मेवाराम, 15.मोहनीदेवी पत्नी मेवाराम, 16.दुलाराम पुत्र कानाराम, 17.गोरधन पुत्र कानाराम, 18.बिरदाराम पुत्र कानाराम, 19.गिरधारीराम पुत्र कानाराम, 20.गंगाराम पुत्र कानाराम, 21.मोहनीदेवी पत्नी कानाराम, 22.रामेश्वरराम पुत्र नाथूराम, 23.दानाराम पुत्र नाथूराम, 24.गणेशाराम पुत्र नाथूराम, 25.अर्जुनराम पुत्र नाथूराम, 26.रिधुदेवी पत्नी नाथूराम, 27.मानाराम पुत्र परतुराम, 28.भागीरथ पुत्र बोदूराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		29.गोविन्दराम पुत्र बोदूराम, 30.रामचन्द्र पुत्र बोदूराम, 31.आसूराम पुत्र बोदूराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 32.मैनेजर, यूको बैंक, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 33.मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 34.मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक, शाखा–धनकोली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 35.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88, R.T.Act.

दिनाँक **10.07.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, वकील, वादीगण व श्री अशोक कुमार भाकर, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 04, 06, 09 व 14 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौलासर के खसरा नम्बर 01 रकबा 26.08 बीघा व खसरा नम्बर 39 रकबा 76.18 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 16 ता 21 का नाम हटाया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **10.07.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner